क्रमांक 32/103/93-4 जी.एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष,
2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल, हरियाणा,
3. सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (ना) हरियाणा,
4. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़, 27-8-93

विषय:—50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखना-विलम्ब की रोकथाम करना।

श्रीमान जी,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 32/65/82-जी.एस.I, दिनांक 27.12.82 एवं 32/342/87-जी.एस.I, दिनांक 10.11.87 की ओर दिलाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि इस मामले से सम्बन्धित केस इस विभाग को अमुक अधिकारी/कर्मचारी की 50/55 वर्ष की आयु की प्राप्ति से 6 मास पहले से भेजा जायें क्योंकि यदि आवश्यक हो तो नियम अनुसार अधिकारी को सेवा निवृति का तीन मास का नोटिस दिया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया था कि केस भेजते समय यह भी उल्लेख किया जाये कि अधिकारी का केस 50 वर्ष की आयु के बाद रिव्यु किया गया है अथवा नहीं। यह अनुभव किया गया है कि इन हिदायतों को कड़ाई से पालना नहीं की जा रही और ऐसे केसों में अनावश्यक देरी की जाती है और निर्धारित समय पर केस मुख्य सचिव (सामान्य सेवायें शाखा–I) को रिव्यु के लिये नहीं भेजे जाते। बल्कि कई केस तो निर्धारित आयु (50/55 वर्ष) पूरी होने के पश्चात ही इस विभाग को भेजे जाते हैं जोकि एक बहुत बड़ी अनियमितता है।

2. आपसे पुनः अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी की 50/55 वर्ष की आयु प्राप्ति से 6 माह पहले ऐसे केस इस विभाग को भेजे जायें तथा यह भी स्पष्ट किया जाये कि सम्बन्धित अधिकारी को 50 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में रखने बारे उसका केस रिव्यु किया गया है अथवा नहीं। कृपया यह हिदायतें सभी सम्बन्धित के ध्यान में अनुपालना हेतू ला दी जायें।

हस्ता/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन–I,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन–I,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठा० क्रमांक 32/103/93-4 जी.एस. I दिनांक चण्डीगढ़ [illegible]